igyk v/;k;% I kekU;

1-1 jktLo ikfIr;ka dh izofÙk

1-1-1 वर्ष 2014–15 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम एवं सहायता अनुदान तथा इससे संबंधित विगत चार वर्ष के आँकडें rkfydk 1-1-1 में वर्णित है:

rkfydk& 1-1-1

jktLo ikfIr;ka dh izofÙk

¼₹ djksM+ esa½

I- Ø-	fooj.k	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
1-	jkT; I jdkj }kjk I axfgr jktLo					
	• dj jktLo	9,005.14	10,712.25	13,034.21	14,342.71	15,707.26
	• dj fHkUu jktLo	3,835.32	4,058.48	4,615.95	5,101.17	4,929.91
	;ksx	12]840-46	14]770-73	17]650-16	19]443-88	20]637-17
2-	Hkkjr I jdkj I s ikfIr;ka					
	• foHkkT; I a?kh; djks ,oa 'kYdksa esa jkT; ds va'k dk fuoy vkxe	5,425.19	6,320.44	7,217.60	7,880.22	8,363.03[1]
	• I gk;rk vunku	4,453.89	4,776.21	4,710.33	4,726.16	8,987.81
	;ksx	9]879-08	11]096-65	11]927-93	12]606-38	17]350-84
3-	jkT; dh dqy jktLo ikfIr;ka ¼1 ,oa 2½	22]719-54	25]867-38	29]578-09	32]050-26	37]988-01
4-	1 I s 3 dk izfr'kr	57	57	60	61	54

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (₹ 20,637.24 करोड़) कुल राजस्व का 54 प्रतिशत रहा। वर्ष 2014–15 के दौरान शेष 46 प्रतिशत राजस्व भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

---

[1] विवरण के लिये कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें वर्ष 2014–15 (कर राजस्व) तालिका 11 राजस्व का लघु शीर्षवार लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020– कॉरपोरेशन कर, 0021– आय कर कॅपोरेशन कर को छोड़कर, 0028– आय और व्यय पर अन्य कर, 0032– संपत्ति कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044–सेवा कर के अंतर्गत लघु शीर्ष 901 – राज्यों को समानुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के दर्ज राशि कर–राजस्व के अंतर्गत दिखाये गए है, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर, विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में सम्मिलित किया गया।

1-1-2 वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे rkfydk 1-1-2 में वर्णित है:

rkfydk& 1-1-2
lxfgr dj jktLo dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa ½

l- Ø-	jktLo 'kh"kZ		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15	2013&14 dh rqyuk esa 2014&15 vkf/kD; ¼$½ ;k deh ¼&½ dk izfr'kr	o"kZ 2014&15 ds okLrfod izkfIr;ksa ,oa ctV vuqeku ds varj dk izfr'kr
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	c-v-	4,524.13	6,000.00	7,310.20	8,436.00	9,800.00	6.29	(–) 13.99
		okLrfod	4,840.79	6,006.25	6,928.65	7,929.51	8,428.61		
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	c-v-	1,390.00	1,550.00	2,200.00	2,675.00	3,150.00	13.47	(–) 8.18
		okLrfod	1,506.44	1,596.98	2,485.68	2,549.15	2,892.45		
3.	विद्युत पर कर और शुल्क	c-v-	554.31	600.00	780.00	1,000.00	1,100.00	28.66	19.36
		okLrfod	502.53	637.97	860.75	1,020.44	1,312.93		
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	c-v-	650.35	875.00	950.00	1,150.00	1,250.00	3.34	(–) 18.13
		okLrfod	785.85	845.82	952.47	990.24	1,023.33		
5.	माल और यात्रीयों पर कर	c-v-	6.16	700.00	950.00	1,192.00	1,335.00	3.85	(–) 26.45
		okLrfod	675.14	825.67	954.31	945.44	981.88		
6.	वाहनों पर कर	c-v-	410.00	475.00	605.71	731.38	800.00	8.05	(–) 12.07
		okLrfod	427.52	502.18	591.75	651.07	703.48		
7.	भू–राजस्व	c-v-	170.00	250.00	346.00	415.00	460.00	46.67	(–) 27.92
		okLrfod	247.37	270.56	234.11	226.06	331.56		
8.	अन्य कर राजस्व	c-v-	13.90	12.14	19.27	25.62	31.26	7.21	5.63
		okLrfod	19.50	26.82	26.49	30.80	33.02		
;ksx		c-v-	7]718-85	10]462-14	13]161-18	15]625-00	17]926-26	9-51	(–) 12-38
		okLrfod	9]005-14	10]712-25	13]034-21	14]342-71	15]707-26		

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में राज्य के कर राजस्व वर्ष 2013–14 की तुलना में 9.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि वर्ष 2014–15 में बजट अनुमान (ब.अ.) के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति में 12.38 प्रतिशत की कमी पाई गई। संबंधित विभागों द्वारा अंतरों के कारणों का उल्लेख निम्नानुसार है:

¼v½ o"kZ 2013&14 dh rqyuk esa o"kZ 2014&15 esa izkfIr;ksa ds varj ds dkj.k%

jkT; mRikn% वृद्धि (13.47 प्रतिशत) का कारण मदिरा दुकानों के वार्षिक राजस्व में 24.34 प्रतिशत की वृद्धि एवं वर्ष 2015–16 के मदिरा दुकानों के नीलामी से प्राप्त प्रोंसेस फीस का वर्ष 2014–15 में प्राप्त होना।

fo|qr ij dj vkSj 'kqYd% वृद्धि (28.66 प्रतिशत) पिछली वर्षों के बकाया विद्युत शुल्क/उपकर की प्राप्ति से हुई।

Hk&jktLo% वृद्धि (46.67 प्रतिशत) कलेक्टरों द्वारा राजस्व एवं बकायों का नियमित वसूली से प्राप्त हुई।

राजस्व के अन्य शीर्षों में अंतरों के कारणों से संबंधित विभागों को अनुरोध करने के बावजूद भी जानकारी प्रदाय नहीं की गई (अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 के मध्य)

¼c½ o"kZ 2014&15 esa c-v- ,oa izkfIr;ksa dss vUrj dk dkj.k%

fcØh] O;kikj vkfn ij dj% कमी (13.99 प्रतिशत) ईंधन, लौह अयस्क एवं कोयला के विक्रय में कमी के कारण हुई।

fo|qr ij dj vkSj 'kqYd% वृद्धि (19.36 प्रतिशत) पूर्व वर्षों के बकाया की वसूली होने के कारण।

eqnzkad 'kqYd ,oa iathdj.k Qhl% कमी (18.13 प्रतिशत) वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 के प्रथम तिमाही में वास्तविक प्राप्ति के अनुसार लक्ष्य का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण।

okguksa ij dj% कमी (12.07 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा सितम्बर 2013 में मासिक कर में 25 से 30 प्रतिशत की कमी करने के कारण।

Hk&jktLo% कमी (27.92 प्रतिशत) का कारण कर्मचारियों को स्थानीय निकायों के चुनावों में संलग्न होना।

माल एवं यात्री पर करों में ब.अ. एवं वास्तविक प्राप्तियों में अंतर होने के कारणों से विभाग को बारंबार अनुरोध करने (अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 के मध्य) के बावजूद भी जानकारी प्रदान नहीं की गई।

1-1-3 वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक संग्रहित कर–भिन्न राजस्व के विवरण नीचे rkfydk 1-1-3 में वर्णित है:

rkfydk 1-1-3
lxzfgr dj fHkUu jktLo dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

l-Ø-	jktLo 'kh"kZ		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15	2013&14 dh rqyuk esa 2014&15 vf/kD;¼$½ ;k deh¼&½ dk izfr'kr	o"kZ 2014&15 esa c t V vuqeku ,oa okLrfod izkfIr;ksa dss vUrj dk izfr'kr
1.	अलौह–धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	c-v-	2,150.00	2,700.00	3,105.00	3,510.00	4,100.00	10.40	(–) 12.86
		okLrfod	2,470.44	2,744.82	3,138.18	3,236.01	3,572.68		
2.	अन्य कर–भिन्न राजस्व	c-v-	832.62	852.07	624.54	1,048.86	819.72	(–) 42.58	(–) 48.88
		okLrfod	666.76	418.96	513.45	729.70	419.00		
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	c-v-	400.00	400.00	405.00	450.00	520.00	(–) 14.09	(–) 32.94
		okLrfod	305.17	341.64	363.96	405.91	348.72		
4.	ब्याज प्राप्तियाँ	c-v-	232.63	302.40	321.94	399.14	323.40	(–) 54.84	(–) 46.85
		okLrfod	170.95	216.57	243.13	380.64	171.89		
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	c-v-	285.40	282.71	391.46	426.11	421.50	19.79	0.92
		okLrfod	222.00	336.49	357.23	348.64	417.62		
	;ksx	c-v-	3]900-65	4]537-18	4]847-94	5]834-11	6]184-62	(–) 3-36	(–) 20-29
		okLrfod	3]835-32	4]058-48	4]615-95	5]101-17	4]929-91		

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 के तुलना में वर्ष 2014–15 में राज्य के कर–भिन्न राजस्व में 3.36 प्रतिशत की कमी आई। जबकि ब.अ. के विरूद्ध वर्ष 2014–15 में वास्तविक प्राप्तियाँ में 20.29 प्रतिशत कि कमी देखी गई।

संबंधित विभागों द्वारा अंतर के कारणों का उल्लेख निम्नानुसार हैः

¼v½ o"kZ 2013&14 dh rqyuk esa o"kZ 2014&15 esa izkfIr;ksa ds vUrj ds dkj.kk%

vykSg&/kkrq [kuu vkSj /kkrqdeZ m|kx% वृद्धि (10.40 प्रतिशत) का कारण सितम्बर 2014 से मुख्य खनिजों के राज्यांश दर में वृद्धि होना था।

okfudh ,oa oU; thou% कमी (14.09 प्रतिशत) दिसम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 में पंचायत एवं स्थानीय निकायों के चुनावों के मद्‌देनजर बिलासपुर एवं सरगुजा वृत्तों में काष्ठ नीलामी के स्थगन होने के कारण।

o`gn ,oa e/;e flapkbZ% पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा कृषकों द्वारा जल कर का भुगतान करने एवं जल कर के दर में बढ़ोतरी होने के कारण प्राप्ति में वृद्धि (19.79 प्रतिशत) हुई।

ब्याज प्राप्तियों में अंतर के कारणों हेतु संबंधित विभाग से बारंबार अनुरोध (अप्रैल एवं सितम्बर 2015 के मध्य) के बावजूद भी कोई जानकारी प्रदाय नहीं किया गया।

¼c½ o"kZ 2014&15 esa c-v- ,oa izkfIr;ksa ds vUrj ds dkj.kk%

vykSg&/kkrq [kuu vkSj /kkrqdeZ m|kx% ब.अ. के विरूद्ध प्राप्तियों की कमी (12.86 प्रतिशत) के मुख्य कारण कायेले के उत्पादन में कमी, कुछ खानों के बंद होने एवं इस वर्ष उत्पादन होने वाले कोयला एवं लौह का पूर्व वर्ष में अग्रिम में राज्यांश जमा करना था।

okfudh ,oa oU; thou% ब.अ. के विरूद्ध कमी (32.94 प्रतिशत) का कारण वित्त विभाग द्वारा ब.अ. का अधिक निर्धारण करना था, जिससे क्षेत्र विशेष कारणों से लक्ष्य प्राप्ति करने में कठिनाई आई।

''ब्याज प्राप्तियों'' एवं ''वृहद एवं मध्यम सिंचाई'' मदो में ब.अ. एवं प्राप्तियों के अंतरों के कारणों का संबंधित विभाग से बारंबार अनुरोध (अप्रैल एवं सितम्बर 2015 के मध्य) करने के बावजूद भी प्रदाय नहीं की गई।

1-2 cdk;k jktLo dk fo'ys"k.k

31 मार्च 2015 की स्थिति में कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के बकाया राजस्व ₹ 1,177 करोड़ थें, जिसमें से ₹ 242.59 करोड़ पांच वर्षों से अधिक बकाया थें, जैसा कि **rkfydk 1-2** में वर्णन किया गया हैः

rkfydk 1-2

cdk;k jktLo

¼₹ djksM+ esa½

l-Ø-	jktLo 'kh"kZ	31 ekpZ 2015 rd cdk;k jkf'k	31 ekpZ 2015 तक पाँच वर्ष से vf/kd le; ls cdk;k jkf'k	fVIi.kh
1	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	770.73	198.98	प्रकरण जिसमें ₹ 446.43 करोड़ सम्मिलित थे उसमें राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा.व.प्र.) जारी कर दिया गया है। शासन, माननीय उच्च न्यायालयों एवं न्यायिक मंचों द्वारा

				क्रमशः प्रकरण जिसमें राशि ₹ 248.87 करोड़, ₹ 43.32 करोड़ एवं ₹ 11.14 करोड़ सम्मिलित थे का स्थगन किया गया है। व्यवसाईयों के दिवालिये होने के कारण राशि ₹ 1.38 करोड़ को बट्टा खाता में डाल दिया गया है। शेष बकाया वसूली हेतु आगे की कार्यवाही कि जा रही है।
2	विद्युत कर एवं शुल्क	313.18	12.39	रा.व.प्र. विचाराधीन हेतु राशि ₹ 182.37 करोड़ के प्रकरणों विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। शेष बकाया के वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है।
3	राज्य उत्पाद	28.42	20.86	जिला न्यायालयों में बकायादारों के चल/अचल संपत्तियों के अनुपलब्धता एवं न्यायालयों में वसूली कार्यवही हेतु स्थगन आदेशों के कारण बकाया है। न्यायालयों से जारी स्थगन आदेशों को शुन्य करने हेतु कार्यवाही कर वसूली की जावेगी।
4	भू–राजस्व	30.06	2.99	वसूली हेतु संबंधित कलेक्टरों द्वारा मांग पत्र जारी कर दी गई है।
5	वाहनों पर कर	10.27	3.52	बकाया राजस्व हेतु विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताये गये।
6	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	16.68	1.72	बकाया वसूली हेतु जिला पंजीयक द्वारा जारी किये गये मांग पत्र अनुसार किया जा रहा है।
7	वानिकी एवं वन्य जीवन	6.75	1.22	इस संबंध में योजनाबद्ध तरीके से बकाया वसूली के कार्यवाही हेतु क्षेत्रिय कार्यालयों को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है।
8	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	0.91	0.91	खनिज अधिकारियों को विशेष अभियान द्वारा बकाया वसूली हेतु निर्देशित किये गये है।
	;kx	1]177-00	242-59	

(स्रोतः विभागों द्वारा प्रदाय किये गये अनुसार)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभागीय प्राधिकारियों के पास ₹ 1,177 करोड़ बकाया है। जिसमें से राशि ₹ 242.59 करोड़ पांच वर्ष से अधिक बकाया है, जो कि कुल बकाया राशि का 20.61 प्रतिशत है एवं उसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

1-3 dj fu/kkj.k gsrq cdk;k

वर्ष 2014–15 के प्रारम्भ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरणों की जानकारी, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत एवं वर्ष के अन्त में लंबित प्रकरण जैसा कि वाणिज्यिक विभाग द्वारा वैट, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासता कर एवं निर्माण कार्य पर कर के संबंध में सूचित किया गया, rkfydk 1-3 में प्रदर्शित है।

rkfydk 1-3

dj fu/kkj.k gsrq cdk;k

jktLo dk 'kh"kZ	ikjfEHkd 'ks"k	2014&15 ds nkSjku dj fu/kkj.k gsrq u, izdj.k	dqy yfcr dj fu/kkj.k	2014&15 ds nkSjku fujkd`r izdj.k	o"kZ ds vUr esa 'ks"k izdj.k	fujkdj.k dk izfr'kr ¼dkye 5 ls 4½
1	2	3	4	5	6	7
मूल्य सवंर्धित कर	46,975	32,204	79,179	27,880	51,299	35.21
वृत्ति कर	13,605	6,371	19,976	7,390	12,586	36.99
प्रवेश कर	19,240	10,236	29,476	8,382	21,094	28.44

विलासता कर	112	126	238	153	85	64.29
निर्माण कार्य करार पर कर	398	449	847	519	328	61.28
;kx	80]330	49]386	1]29]716	44]324	85]392	34-17

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़ें)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2014–15 के अंत तक कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों का 34 प्रतिशत ही विभाग द्वारा निराकरण किया जा सका।

vf/kd l vf/kd jktLo lxg.k gr 'kklu bu yfcr idj.kk dk vfr'kh?k fujkdj.k gr le;c) dk;okgh fd;k tk ldrk gA

1-4 foHkkx }kjk [kkst x;s dj vioapu

वणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर मांगो के विवरण rkfydk 1-4 में वर्णित है:

rkfydk 1-4
dj vioapu

¼₹ yk[k e½

Lk- Ø-	jktLo 'kh"k	31 ekp 2014 rd yfcr idj.kk dh l[;k	o"k 2014&15 d nkjku d idj.k	dy	,sl idj.kk dh l[;k ftue fu/kkj.k@vUo"k.k dj 'kkfLr vkfn d lkFk vfrfjDr ekx mBkbZ xbZ		31 ekp 2015 rd yfcr idj.kk dh l[;k
					idj.kk dh l[;k	ekx dh jkf'k	
1-	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	166	29	195	59	10,851.31	136
	;kx	166	29	195	59	10]851-31	136

(स्रोतः विभागों द्वारा प्रदत्त आकड़े)

1-5 yfcr ifrnk; idj.k

वणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2014–15 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदायों और वर्ष 2014–15 कें अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या rkfydk 1-5 में वर्णित है:

rkfydk 1-5
yfcr ifrnk; idj.kk dk fooj.k

¼₹ djkM e½

l-Ø-	fooj.k	foØ; dj@oV	
		l[;k	jkf'k
1.	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावा	17,688	209.08
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा	3,853	189.95
3.	वर्ष के दोरान अनुमत्य प्रतिदाय	3,266	162.32
4.	वर्ष के अंत में शेष बकाया	18,275	236.71

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़ें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल 15.16 प्रतिशत प्रकरणों में ही प्रतिदाय प्रदाय मान्य किया गया।

छत्तीसगढ़ वैट कर अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि यदि व्यवसायी को अधिक राशि प्रतिदाय आदेश के 60 दिनों के पश्चात् भी वापस नहीं किया जाता है तो प्रतिदाय दिनांक तक एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। अतः विलम्ब से भुगतान किए गये प्रतिदाय पर ब्याज का दायित्व आता है।

1-6 y[kk ijh{kk d i fr foHkkxk@'kklu dh i frfØ;k

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, शासन के विभागों के लेन–देन की नमूना जाँच कर सामयिक निरीक्षण करता है तथा यह सत्यापित करता है कि महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसार किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितताएं जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते है तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियों को शीघ्र सुधार कार्य करने के लिए भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों पर अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2014 तक जारी 2,811 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 11,073 कंडिकाओं, जिसमें ₹ 7,132.64 करोड़ की राशि सम्मिलित थे जून 2015 तक लंबित थी, जो पिछले दो वर्षों के आकड़ों के साथ rkfydk 1-6 में दर्शित है:

rkfydk 1-6

yfcr fujh{k.k ifronuk dk fooj.k

	tu 2013	tu 2014	tu 2015
fujkdj.k grq yfcr fujh{k.k ifronuk dh l[;k	2,549	2,645	2,811
yfcr y[kk ijh{kk vkifÙk;k dh l[;k	9,943	10,419	11,073
lfUufgr jktLo jkf'k ¼₹ djkM+ e½	5,930.53	6,090.69	7,132.64

1-6-1 30 जून 2015 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे rkfydk 1-6-1 में दिया गया है:

rkfydk 1-6-1

foHkkxokj fujh{k.k ifronuk dk fooj.k

¼₹ djkM+ e½

l- Ø-	foHkkx dk uke	jktLo dh iofÙk	fujh{k.k ifronu dk idkj	yfcr fujh{k.k ifronuk dh l[;k	yfcr y[kkijh{kk vkifÙk;k dh l[;k	lfUufgr jkf'k
1-	वणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	प्राप्तियाँ	428	2,680	377.91
			व्यय	10	26	5.42
2-	वणिज्यिक कर (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	प्राप्तियाँ	133	370	371.32
		मनोरंजन कर	प्राप्तियाँ	72	116	3.95
		राज्य उत्पाद एवं मनोरंजन कर	व्यय	13	24	0.40
3-	वणिज्यिक कर (पंजीकरण)	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	प्राप्तियाँ	228	632	85.77
			व्यय	04	10	1.81
4-	राजस्व	भू–राजस्व	प्राप्तियाँ	574	1,774	1,051.46

			व्यय	26	61	8.17
5-	परिवहन	वाहनों पर कर	प्राप्तियाँ	142	1,044	136.20
			व्यय	13	34	0.12
6-	खनिज संसाधन	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	प्राप्तियाँ	140	485	835.84
			व्यय	07	07	0.00
7-	वन	वानिकी एवं वन्य जीवन	प्राप्तियाँ	333	1,012	1,239.28
			व्यय	386	1,684	719.26
8-	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	प्राप्तियाँ	13	62	1,644.41
9-	अन्य कर विभाग	अन्य प्राप्तियाँ	प्राप्तियाँ	288	1,042	651.19
			व्यय	01	10	0.13
		;kx		2]811	11]073	7]132-64

वर्ष 2014–15 के दौरान जारी किये गये 147 निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा के 112 निरीक्षण प्रतिवदनों (76 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर विभाग से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। निरीक्षण की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि विभागाध्यक्षों का रवैया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति गंभीर नहीं है।

1-6-2 foHkkxh; y[kkijh{kk lfefr cBd

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना निरीक्षण प्रतिवदेन और निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई। परंतु कोई भी विभाग प्रावधानुसार पूर्व लेखापरीक्षण प्रतिवदेनों एवं कंडिकाओं के निराकरण के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया है।

1-6-3 y[kkijh{kk d nkjku vfHky[kk dk iLrr ugh fd;k tkuk

कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों का स्थानिय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससें विभाग लेखापरीक्षा जांच हेतु वांछित अभिलेख तैयार कर सकें।

वर्ष 2014–15 के दौरान कर निर्धारण नस्ती एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को लेखपरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। उन प्रकरणों को rkfydk 1-6-3 में दर्शाया गया है:

rkfydk 1-6-3

viLrr vfHky[kk dk fooj.k

dk;ky;@foHkkx dk uke	o"k ftle y[kkijh{kk fd;k tkuk Fkk	idj.kk dh l[;k ftudh y[kkijh{kk ugh dh tk ldh
वाणिज्यिक कर	2014–15	सहायक आयुक्त एक, संभाग 2, रायपुर द्वारा एक कर निर्धारण प्रकरण प्रस्तुत नहीं किये गये।
भू–राजस्व	2014–15	कार्यालय कलेक्टर, महासमुंद द्वारा नजूल शाखा के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना लेखापरीक्षा को संवैधानिक दायित्व पूरा करने में बाधा पहुँचाता है और लेखापरीक्षा के कारण जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है उससे वंचित करता है।

1-6-4 ik:i y[kkijh{kk dfMdkvk ij 'kklu dh ifrfØ;k

महालेखाकार द्वारा सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेषणों पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में

सम्मिलित होने वाली प्रारूप कंडिकाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसका उत्तर छः सप्ताह के भीतर देना होता है। शासन/विभागों से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवदेन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है। 26 प्रारूप कंडिकाएं जो 20 कंडिकाओं में समाहित है, तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक वृहत कंडिका संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों का मई 2015 एवं जून 2015 के मध्य भेजा गया। प्रारूप कंडिकाओं पर प्रमुख सचिवों/सचिवों के उत्तर उचित स्थान पर समाहित कर एवं उस पर टिप्पणी किया गया है।

1-6-5 y[kkijh{kk ifronu dk vuqlj.k lkjk'k fLFkfr

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानसुार, लेखा परीक्षा विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के अंदर प्रतिवदेन की सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखा परीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (राजस्व क्षेत्र) के समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 की 182 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मलित कर) को राज्य विधानसभा में फरवरी 2009 एवं मार्च 2015 के मध्य प्रस्तुत किया गया। 30 जून 2015 की स्थिति में 31 मार्च 2005 से 2014 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 34 कंडिकाओं पर संबंधित विभागों से कार्यवाही की व्याख्यातमक टीप प्राप्त नहीं हुई है।

लोक लेखा समिति द्वारा 1999–00 से 2009–10 के लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों के 114 चुनिंदा कंडिकाओं को चर्चा हेतु चयन किया गया था एवं 75 कंडिकाओं के अनुशंसाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003–04 से 2013–14 में सम्मिलित किया गया। परंतु 23 अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से कार्यवाही टीप प्राप्त नहीं हुए, जिसका विवरण निम्न rkfydk 1-6-5 में दिया गया है:

rkfydk 1-6-5

vuq'kalkvksa ds laca/k esa vuqikyu dk;Zokgh dh Vhi ¼,-Vh-,u-½ dk fooj.k

o"kZ	foHkkx dk uke							dqy
	Hkkfedh ,oa [kfudeZ	jkT; mRikn	ÅtkZ	ifjogu	okf.kfT;d dj	iath;u	ou	
1999&00	–	1	–	–	–	–	–	1
2000&01	–	–	–	–	–	1	–	1
2002&03	–	–	–	–	3	–	–	3
2004&05	1	–	–	–	–	–	1	2
2005&06	1	–	–	–	4	–	–	5
2006&07	1	–	–	1	1	–	–	3
2007&08	–	1	1	2	2	–	–	6
2008&09	–	1	–	–	–	–	–	1
2009&10	1	–	–	–	–	–	–	1
;ksx	4	3	1	3	10	1	1	23

1-7 ys[kkijh{kk }kjk mBk, x, fo"k;ksa ij dk;Zokgh djus gsrq izfØ;k dk fo'ys"k.k

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से उठाये गये मुद्दों को सम्बोधित करने हेतु प्रणाली का विश्लेषण , विभाग/शासन द्वारा पिछले 10 वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यवाही हेतु एक विभाग का मुल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया हैं।

अनुवर्त्ती कंडिका 1.7.1 से 1.7.3 में Hkw&jktLo foHkkx के अन्तर्गत राजस्व शीर्ष के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं गत 10 वर्ष में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये एवं ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2004–05 से 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों में सम्मिलित किये गये है का आकंलन कर चर्चा की गई है।

1-7-1 Hkw&jktLo foHkkx d fujh{k.k ifronuk dh fLFkfr

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति, इन प्रतिवदेनों में शामिल कंडिकाऐं और 31 मार्च 2015 के अनुसार उनकी स्थिति rkfydk 1-7-1 में नीचे दर्शायी गई है:

rkfydk 1-7-1
fujh{k.k ifronuk dh fLFkfr

¼₹ djkM e½

l- Ø-	o"k	ikjfEHkd 'k"k			o"k d nkjku tkM x,			o"k d nkjku fujkd`r			o"k d nkjku vfre 'k"k		
		fujh- ifr-	dfMdk,	jkf'k	fujh- ifr-	dfMdk,	jkf'k	fujh- ifr-	dfMdk,	jkf'k	fujh- ifr-	dfMdk,	jkf'k
1	2005–06	450	1170	447.63	5	23	10.78	–	–	–	455	1193	458.41
2	2006–07	455	1193	458.41	7	32	20.86	–	–	–	462	1225	479.27
3	2007–08	462	1225	479.27	28	113	25.70	17	68	2.68	473	1270	502.29
4	2008–09	473	1270	502.29	33	128	58.02	22	72	194.86	484	1326	365.45
5	2009–10	484	1326	365.45	20	80	27.44	16	71	4.52	488	1335	388.37
6	2010–11	488	1335	388.37	25	110	13.30	9	35	21.73	504	1410	379.94
7	2011–12	504	1410	379.94	35	212	46.93	8	20	13.38	531	1602	413.49
8	2012–13	531	1602	413.49	19	97	15.00	6	43	5.67	544	1656	422.82
9	2013–14	544	1656	422.82	27	126	592.06	1	21	1.68	570	1761	1013.20
10	2014–15	570	1761	1013.20	6	26	47.61	–	4	22.01	576	1783	1038.80

पुरानी कंडिकाओं के निराकरण हेतु शासन, विभाग और महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करवाती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2005–06 के प्रारंभ में 455 लंबित निरीक्षण प्रतिवदेनों में 1,193 कंडिकाऐं थी जो 2014–15 के अन्त तक बढ़कर 576 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन के 1,783 कंडिकाऐं हो गई। भू–राजस्व विभाग के लिए कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक अभी तक आयेजित नहीं की गई है।

1-7-2 Lohd`r idj.kk dh olyh

पिछले 10 वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो भू–राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूल की गई राशि नीचे rkfydk 1-7-2 में वर्णित है:

rkfydk 1-7-2

¼₹ djkM e ½

y[kkijh{kk ifronu o"k	'kkfey dh xbl	dfMdkvk dh dy	Lohd`r dfMdkvk	Lohd`r dfMdkvk	o"k d nkjku oly

	dfMdkvksa dh la[;k	jkf'k	dh la[;k	dh jkf'k	dh xbZ jkf'k
2004&05	3	1.14	1	0.20	0.21
2005&06	–	–	–	–	–
2006&07	–	–	–	–	–
2007&08	1	0.07	–	–	0.04
2008&09	1	2.23	1	2.23	2.23
2009&10	3	0.71	2	0.65	0.59
2010&11	1	10.86	1	10.86	2.30
2011&12	2	1.04	–	–	–
2012&13	1	0.17	1	0.17	–
2013&14	3	8.98	1	8.61	–
;ksx	15	25-20	7	22-72	5-37

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी है। संबंधित बकायादारों से स्वीकृत प्रकरणों में बकाया राशि के वसूली हेतु प्रयास किया जाना था। आगे भू–राजस्व विभाग के कार्यालय में बकाया प्रकरण एवं स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। किसी भी उपयुक्त प्रणाली की अनुपस्थिति में विभाग स्वीकृत प्रकरणों की वसूली की निगरानी नहीं कर पाया।

foHkkx dks pkfg, fd Lohd`r izdj.kksa esa 'kkfey cdk;k jkf'k dh 'kh?kz olwyh ds iz;kl ,oa fuxjkuh gsrq Rofjr dk;Zokgh djsA

1-7-3 foHkkx@'kklu }kjk Lohd`r vuq'kalkvksa ij dh xbZ dk;Zokgh

महालेखाकार द्वारा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का प्रारूप संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन नि.ले.प. पर बर्हिगमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है तथा विभागों/शासन के मंतव्यों को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

नीचे दिये गए कंडिकाओं में भू–राजस्व विभाग की नि.ले.प. में उठाये गये विषय वर्ष 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शमिल किये गये। अनुशंसाओं का विवरण और स्थिति rkfydk 1-7-3 में दर्शायी गई है।

rkfydk 1-7-3

izfrosnu dk o"kZ	fu"iknu ys[kkijh{kk dk uke	vuq'kalkvksa dh la[;k	vuq'kalkvksa dk fooj.k	fLFkfr
2010–11	भू–राजस्व का आरोपण एवं उदग्रहण	8	• स्थापित आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ करना, और इन आपत्तियों के उपचार उपाय करने हेतु समय सीमा निर्धारित करना	स्थापित आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाइ के सुदृढ़ करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है (अक्टूबर 2014)।
			• भू–राजस्व को उचित लेखाशीर्ष में जमा करने हेतु आवश्यक आदेश जारी करने पर विचार	इस संबंध में आवश्यक निर्देशों जारी कर दिये गये है (अक्टूबर 2013 एवं नवम्बर 2014)।
			• ग्राम पंचायत क्षेत्र में संग्रहित प्रिमियम पर पंचायत उपकर के आरोपण हेतु निर्देश जारी करना	इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये (सितम्बर 2015)।
			• अधिनियम/नियमों में, वसूली की कार्यवाही प्रक्रियायें प्रारम्भ करने, पट्टा विलेखों के निष्पादन हेतु समय सीमा का समावेश करने और संस्वीकृतियों के समय	इस संबंध में आवश्यक निर्देशों देने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है (सितम्बर 2015)।

			से निष्पादन में विफलता हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण करने पर विचार करना	
			• समयबद्ध रीति से अवशेषों की वसूली हेतु निर्देश जारी करना	इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये है (सितम्बर 2015)।
			• व्यपवर्तन लगान निर्धारण के प्रकरणों को तहसीलदार द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत मांग और संग्रहण के अभिलेखों से परस्पर संबंध करने हेतु प्रणाली का निर्धारण	इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये है (सितम्बर 2015)।
			• उचित वसूली संबंधी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु और शासकीय लेखों में समय से जमा करने बाबत् कलेक्टर व तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश जारी करना	इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये है (जून एवं नवम्बर 2015)।
			• सभी प्रकार की भूमि, जिस पर भू–राजस्व या भाटक संग्रहित होता हैं पर अद्योसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर के आरोपण हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना	इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये है (जूलाई 2015)

1-8 ys[kkijh{kk ;kstuk

विभिन्न विभागों के अंतर्गत ईकाई कार्यालयों का वर्गीकरण उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम ईकाईयों में किया गया है, जो राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुरानी प्रवृत्ति और अन्य पैमानों पर निर्भर करता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर शासन की राजस्व प्राप्तियों के नाजुक विषय, कर प्रशासन जैसे बजट भाषण, राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्रीय), कर सुधार समिति की अनुशंसाऐं, पिछले पांच वर्षों का राजस्व अर्जन, सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताऐं, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले पांच वर्षों में इसका प्रभाव आदि को सम्मिलित करते हुये की जाती है।

वर्ष 2014–15 के दौरान 463 लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों में से 85 ईकाईयों की योजना बनाई गई और 84 ईकाईयों की लेखा परीक्षा की गई जो कुल लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों का 18.22 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 में की गई लेखा परीक्षा ईकाईयों की सूची *ifjf'k"V 1-1* में दर्शाया गया है।

इसके अलावा उपरोक्त दर्शाये अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक वृहत प्रारूप कंडिका भी की गयी।

1-9 ys[kkijh{kk ds ifj.kke

o"kZ ds nkSjku dh xbZ LFkkuh; ys[kkijh{kk dh fLFkfr

वर्ष 2014–15 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन, भू–राजस्व, खनिज प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर, वानिकी एवं वन्य जीवन, विद्युत शुल्क और अन्य विभागीय कार्यालयों के 84 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि के राशि ₹ 549.77 करोड़ के 27,711 प्रकरण पाए गए। वर्ष 2014–15 के दौरान संबंधित विभागों ने 23,602 प्रकरणों में सम्मिलित राशि ₹ 263.73 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार करते हुए पांच प्रकरणों में राशि ₹ 2.64 लाख की वसूली की गई।

1-10 ;g izfrosnu

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा **eY; lof/kZr dj dk vUrxZr dj fu/kkZj.k iz.kkyh** एवं **bZ&pkyku dk fØ;kUo;u** एवं एक वृहत कंडिका **;k=h

,o eky ;kuk d okguLokeh;k l djk dk de olyh@volyh** सहित 20 कंडिकायें जिसमें ₹ 51.65 करोड़ सन्निहित है जिसमें से शासन ने ₹ 29.14 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेषणों को मानते हुए ₹ 47.78 लाख वसूल कर ली गई है। शेष प्रकरणों में शासन/विभागों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2015)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय दो से आठ में की गई है।